न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम, गोपालगंज।

जमानत आवेदन संख्या–212 / 2026
गोपालगंज थाना कांड सं0–29 / 2026

हेमंत कुमार .....आवेदक

बनाम

बिहार सरकार.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के तरफ से श्री दीपक कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी के तरफ से श्री प्रेम कुमार वर्मा, अपर लोक अभियोजक।

23.04.2026

काराधीन आवेदक अभियुक्त हेमंत कुमार, जो दिनांक–09.01.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं, तथा गोपालगंज थाना कांड संख्या 29/2026 अन्तर्गत धारा–318(4), 303(2), 336(2), 338, 336(3), 340(2), 3(5) बी0एन0एस0 के अभियुक्त हैं, के तरफ से दाखिल जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा संचालित किया गया ।

उभय पक्ष को सुना ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के इस जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और नहीं ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है, न खारिज किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक का दो आपराधिक इतिहास है। आवेदक के पास से किसी भी प्रकार की बरामदगी नहीं है। आवेदक थावे मंदिर पूजा करके आ रहा था, पुलिस ने शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। आवेदक को जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाये ।

विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा आवेदक के जमानत का विरोध किया गया ।

प्राथिमिकी के अनुसार सूचक पु0अ0नि0 यशवंत कुमार सिंह दिनांक–08.01.2026 को कीरब सुबह 10:05 बजे दो सिपाही के साथ दिवा गस्ती को प्रस्थान किये। बैंक, ए0टी0एम0 चेकिंग करते समय लगभग 16:05 बजे बंजारी के दक्षिण ए0डी0बी0 बैंक के पास एस0बी0आई0 ए0टी0एम0 के पास पहुंचे तो देखे कि एक व्यक्ति एस0बी0आई0 गेट के पास से भागने लगा। शक के आधार पर उसे कब्जा में लिया गया। एक अन्य व्यक्ति भाग गया। कब्जे में लिये गये व्यक्ति से पूछताछ करने पर नाम हेमंत कुमार बताया, भागे हुए व्यक्ति का नाम मनिष कुमार बताया। तत्पश्चात् ए0टी0एम के पास व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण सिपाही रविरंजन कुमार एवं नन्दलाल यादव को साक्षी बनाते हुए पकड़ाये व्यक्ति की तलाशीके क्रम में पहने हुए पैंट से 4 अलग–अलग बैंक के ए0टी0एम0 मिला तथा पैंट के बायें पॉकेट से 500 रूपये के 14 नोट एवं 100 रूपये के 2 नोट कुल 72,00/–रूपये (बहत्तर सौ रूपये) एवं मोबाइल बरामद हुआ। बरामद सामानों के बारे

Cont./23-04-2026

में पूछताछ करने पर जवाब नहीं दिया। सख्ती से पूछताछ करने पर बताया कि मैं एवं मनिष कुमार ए0टी0एम0 से पैसा निकालने वाले भोले भाले लोगों का ए0टी0एम0 बदलकर पैसा निकालते हैं। आज भी हमलोग एसे लोगों का इंतजार कर रहे थे। बरामद ए0टी0एम0 एवं रूपये की जप्ती सूची बनाकर पकड़ाये व्यक्ति को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

कांड दैनिकी प्राप्त है। अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक प्राथमिकी में नामजद है। आवेदक पर अनपढ़ एवं भोले–भाले लोगों का ए0टी0एम0 बदलकर पैसा निकासी करने का आरोप है। आवेदक अभियुक्त के पास से चार भिन्न–भिन्न बैंक के ए0टी0एम0 की बरामदगी हुई है, जिसके संबंध में आवेदक अभियुक्त द्वारा कोई प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। कांड दैनिकी के पारा–28 में आवेदक अभियुक्त का चार आपराधिक इतिहास है, जिसमें लगाये गये आरोप इस वाद में लगाये आरोप में समानता को दर्शाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अभियुक्त पूर्व में भी ऐसी घटनाओं में आरोपित है। आवेदक अभियुक्त आरोप अन्तर्गत धारा–318(4), 303(2), 336(2), 338, 336(3), 340(2), 3(5) बी0एन0एस0 में आरोपित है। अनुसंधान के क्रम में आरोप को सत्य पाते हुए उक्त धाराओं के साथ एक अन्य धारा–111 बी0एन0एस0 में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जा चुका है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक को जमानत का लाभ देना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक अभियुक्त हेमंत कुमार को नियमित जमानत पर मुक्त करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। आवेदक अभियुक्त का जमानत आवेदन ***अस्वीकृत*** किया जाता है।

(लेखापित)

विवेक कुमार त्रिपाठी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम्,
गोपालगंज।
दिनांक–23.04.2026